23.09.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 1
बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। बार-बार आवाज
लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी सं० 1 के
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पेशकार राज
द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल पत्रावली
किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। बहस पर मनन
करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा०
पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता
है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर शामिल दफ्तर हो।
निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS.